

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक / 689 / पी.ए. / प्र.अ. / मानि / 09
प्रति

भोपाल, दिनांक 22.10.2009

मुख्य अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/ वि.यां परिक्षेत्र


समस्त अधीक्षण यंत्री (सिविल एवं वि.यां)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश

समस्त कार्यपालन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश ।

विषय : नलकूप खनन संबंधी मौखिक आदेशों की लिखित पुष्टि करने के संबंध में ।

मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन द्वारा एक प्रकरण विशेष के संदर्भ में प्रकरण इस टीप के साथ समाप्त किया गया है कि कार्यपालन यंत्री मैकेनिकल संकाय के अधिकारी, कार्यपालन यंत्री सिविल के मौखिक आदेशों की लिखित में पुष्टि होने पर ही नलकूप खनन कार्य करें ।

उपरोक्त स्थिति में निर्देशित किया जाता है कि जब भी नलकूप खनन के कोई मौखिक आदेश दिये जाएं तो उनकी तत्काल लिखित में पुष्टि अनिवार्य रूप से की जाए अन्यथा कार्य नहीं होने के लिये संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे ।


(सुधीर सक्सेना)
प्रमुख अभियन्ता

क.जा.